

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 587]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 नवम्बर 2010—कार्तिक 27, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर 2010

क्र. (24) एफ. क्र. बी-1-36-2009-2-पांच.—मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 63 के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमित्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, आबकारी शुल्क जहां तक कि वह नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आबकारी कर योग्य वस्तुओं से संबंधित है, उसके (सारणी) कालम (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर, 1 अप्रैल, 2010 से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	आबकारी कर योग्य वस्तुएं (2)	शुल्क की दर (3)
1.	देशी मदिरा (25 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अन्डर प्रूफ देशी स्पिरिट प्लेन).	रुपये 160/- प्रति प्रूफ लीटर
2.	सिविलियन के लिए विदेशी मदिरा (स्पिरिट) जब प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (12 क्वार्ट बोतल अथवा समतुल्य).	
(क)	रुपये 400/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 300 प्रतिशत या रुपये 1125/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.

(1)	(2)	(3)
(ख)	रुपये 401/- से रुपये 800/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 225 प्रतिशत या रुपये 1300/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ग)	रुपये 801/- से रुपये 1100/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 180 प्रतिशत या रुपये 1800/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(घ)	रुपये 1101/- से रुपये 1600/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 140 प्रतिशत या रुपये 2050/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ङ)	रुपये 1601/- से रुपये 2800/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 90 प्रतिशत या रुपये 2300/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(च)	रुपये 2801/- से रुपये 4000/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 80 प्रतिशत या रुपये 2700/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(छ)	रुपये 4001/- से रुपये 10000/- तक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 45 प्रतिशत या रुपये 3300/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
(ज)	रुपये 10000/- से अधिक	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 40 प्रतिशत या रुपये 4600/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
3.	सिविलियन के लिए विदेशी मदिरा (माल्ट) बीयर—	
(क)	ड्राट बीयर	रुपये 20/- प्रति बल्क लीटर
(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) से भिन्न बीयर	एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 75 प्रतिशत या रुपये 210/- प्रति पेटी, जो भी अधिक हो.
4.	मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से और मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन.	
5.	सिविलियन के लिए वाईन	रुपये 250/- प्रति प्रूफ लीटर
6.	भांग (भाण्डागार से प्रदाय लेने पर)	
(क)	नीलाम की गई भांग, भांगघोटा तथा भांग मिठाई दुकानों के अनुज्ञसिधारियों के लिए.	रुपये 85/- प्रति किलोग्राम
(ख)	उपरोक्त खण्ड (क) में वर्णित से भिन्न अनुज्ञसिधारी/संस्था के लिए.	रुपये 250/- प्रति किलोग्राम

रक्षा सेवाकार्मिकों को प्रदाय की जाने वाली, भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी, सिविलियन्स द्वारा, रम के लिए 30 प्रतिशत की दर पर तथा भारत से भिन्न निर्मित विदेशी मदिरा [व्हिस्की, ब्राण्डी, जिन, वोदका, वाईन एवं माल्ट (बीयर) इत्यादि] के लिए 50 प्रतिशत की दर पर आबकारी शुल्क प्रभार्य होगा.

स्पष्टीकरण 1.—विदेशी मदिरा (स्पिरिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी, रम, जिन, वोदका, लिकर्स, कॉर्डियल, बिटर उनके सम्मिश्रण तथा अन्य स्पिरिट युक्त निर्मितियां जो मुख्य घटक हो.

स्पष्टीकरण 2.—माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साइडर आदि.

स्पष्टीकरण 3.—“रक्षा सेवाएं” से अभिप्रेत है, रक्षा सेवा कार्मिक जो रक्षा कैंटीन संगठन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं, सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक जो इंदौर तथा टेकनपुर की अधिकृत कैंटीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिक जो करैरा, जिला शिवपुरी की अधिकृत कैंटीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक जो बड़वाह, जिला खरगोन स्थित अधिकृत कैंटीन के माध्यम से विदेशी मदिरा प्राप्त करते हैं.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 18 नवम्बर, 2010

क्र. (24) बी-1-36-2009-2-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (24) बी-1-36-2009-2-पांच, दिनांक 18 नवम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 18th November, 2010

(24) F. No.-B-1-36-2009-2-V.—In exercise of the powers conferred by Section 25 read with Section 63 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. II of 1915) and in supersession of all previous notifications issued in this behalf, the State Government, hereby prescribes the excise duties in so far as they relate to the excisable articles specified in column (2) of the table below, at the rates specified in the corresponding entries in column (3) thereof, with effect from 1st April, 2010 in whole of the State of Madhya Pradesh, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Excisable articles (2)	Rate of duty (3)
1	Country Spirit (25 degree under proof spiced country spirit and 50 degree under proof plain country spirit).	Rs. 160/- per proof litre
2	Foreign Liquor (Spirit) for Civilians When per case (12 quart bottles or equivalent) declared Ex-foreign liquor warehouse price is,	
(a)	Up to rupees 400/-	300 % of Ex-Foreign liquor warehouse price or Rs. 1125/- per case, whichever is higher.
(b)	From rupees 401/- and upto rupees 800/-	225% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1300/- per case, whichever is higher.
(c)	From rupees 801/- and upto rupees 1100/-	180% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 1800/- per case, whichever is higher.

(1)	(2)	(3)
(d)	From rupees 1101/- and upto rupees 1600/-	140% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 2050/- per case, whichever is higher.
(e)	From rupees 1601/- and upto rupees 2800/-	90% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 2300/- per case, whichever is higher.
(f)	From rupees 2801/- and upto rupees 4000/-	80% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 2700/- per case, whichever is higher.
(g)	From rupees 4001/- and upto rupees 10000/-	45% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 3300/- per case, whichever is higher.
(h)	above rupees 10000/-	40% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 4600/- per case, whichever is higher.
3.	Foreign Liquor (Malt) Beer for Civilians.	
(a)	Draught Beer	Rs. 20/- per bulk litre
(b)	Beer other than above clause (a)	75% of Ex-Foreign Liquor Warehouse price or Rs. 210/- per case, whichever is higher.
4.	Wine made from grapes produced in Madhya Pradesh and manufactured in Madhya Pradesh.	Zero
5.	Wines for Civilians	Rs. 250/- per proof litre
6.	Bhang (On taking supplies from Warehouses)	
(a)	For licensees of auctioned shops of Bhang Bhang-Ghota and Bhang-Sweets.	Rs. 85/- per kilogram
(b)	for licensee/institutions other than above clause (a).	Rs. 250/- per kilogram

The Excise Duty of the India made foreign liquor issued to the Defence Services personnel shall be charged for (Rum) at the rate of 30 percent and for other India made foreign liquor [Whisky, Brandy, Gin, Vodka, Wine, Malt (Beer), etc.] at the rate of 50 percent of the duty payable by civilians.

Explanation 1.—Foreign liquor (spirit) includes Whisky, Brandy, Rum, Gin, Vodka, Liquor, Cordial, Bitter and their mixtures and other preparations containing spirit as main ingredient.

Explanation 2.—Malt liquor includes Beer, Stout, Ale, proter, Cider etc.

Explanation 3.—“Defence Services” means defence service personnel receiving foreign liquor through the defence canteen organization, the personnel of the Border Security Force receiving foreign liquor through the authorised canteens at Indore and Tekanpur, the personnel of the Indo Tibetan Border Police receiving foreign liquor through the authorized canteens at Karera, District Shivpuri and personnel of the Central Industrial Security Force receiving foreign liquor through the authorized canteens at Barwaha, District Khargone.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.